संख्या- 3/2016 /एस-3- 37/दस-2016-ब(2)/2015

प्रेषक,

राज रतन
अनुसचिव
उ0प्र0शासन

सेवा में,

निदेशक,
वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0
24/3, इन्दिरानगर, लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 28 जनवरी, 2016

विषय:-संस्थान के नये भूखण्ड संख्या 24/4 इन्दिरानगर, लखनऊ परिसर में सिन्थैटिक बास्केट बाल कोर्ट, सिन्थैटिक लॉन कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक तथा जॉगिंग टैक के चारों ओर वृक्षारोपण एवं नये छात्रावास के 62 कमरों में ए0सी0 की स्थापना एवं तत्सम्बन्धी कंट्रोल पैनल की स्थापना एवं पुराने परिसर में सिन्थैटिक बैडमिन्टन कोर्ट के निमार्ण हेतु धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-कार्य0 व्यव0/ 209/2015/37 दिनांक 15-01-2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संस्थान के परिसर में सिन्थैटिक बास्केट बाल कोर्ट, सिन्थैटिक लॉन टेनिस कोर्ट, बैडमिन्टन कोर्ट, जॉगिंग ट्रैक तथा वृक्षारोपण एवं नये छात्रावास के 62 कमरों में ए0सी0 की स्थापना एवं तत्सम्बन्धी कंट्रोल पैनल की स्थापना आदि निर्माण कार्यो के लिए उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लखनऊ को निर्माण ईकाई नामित करते हुए शासन के पत्र संख्या- 6/2015/एस-3-516/दस-2015-ब(2)/2015 दिनांक 01-10-2015 द्वारा उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष् 2015-16 में नई मांग के रूप में कुल स्वीकृत प्राविधानित रू0 194.49 लाख (रू0 एक करोड चौरान्नवे लाख उन्चास हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किस्त के रूप में 50 प्रतिशत धनराशि रू0 97.24 लाख (रू0 सत्तानबे लाख चौबीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त की गयी थी ।

2- उपरोक्त निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किस्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0 97.25 लाख (रू0 सत्तानबे लाख पच्चीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अग्रिम के रूप में आहरित कर कार्यदायी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 लखनऊ को उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त कार्य की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0, द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है ।

(2) स्वीकृत धनराशि एक मुश्त आहरित न कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि बैंक/पी0एल0ए0 में नही रखी जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जाये कि शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से कार्यदायी संस्था द्वारा ब्याज अर्जित न किया जाय।

(3) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य अथवा मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा।

(5) निर्माण कार्य निर्धारित पुनरीक्षित आगणन में अंकित उच्च विशिष्टियों के अनुसार निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाये, ताकि निर्माण की लागत में वृद्वि न होने पाये तथा निर्माण के बीच में निर्धारित विशिष्टियों में कोई भी संशोधन नही किया जायेगा।

(6) निर्माण कार्य की प्रगति आख्या नियमित रूप से शासन को उपलब्ध करायी जाय एवं कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराया जाय।

(7) यदि निर्माण कार्य प्रारम्भ नही होता है तो उसे तत्काल शासन के संज्ञान में लाते हुए धनराशि राजकोष में जमा कराये जाने की कार्यवाही की जाय।

(8) निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान अपने स्तर से सुनिश्चित करेंगे ।

3- उपर्युक्त पर होने वाले व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-63 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-60-अन्य भवन-051-निर्माण-04-वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान में विभिन्न निर्माण/नवीनीकरण कार्य-24-वृहद निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

भवदीय,

(राज रतन)
अनु सचिव।

संख्या- 3/2016/एस-3-37(1)/दस-2016-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित'-

1- महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार आडिट प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।
4- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2
6- अनुभागीय बजट पत्रावली- गार्ड फाईल ।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम, लखनऊ

आज्ञा से,

(राज रतन)
अनु सचिव